<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम, देहरादून</u>

उपस्थितः धर्म सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>सत्र विचारण संख्या–29/2016</u>

राज्य ——————————————————————अभियोगी

बनाम

1. आलोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री सेवाराम शर्मा, निवासी मकान नं0 115 गली नं0 5 रोचीपुरा थाना पटेलनगर देहरादून।
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री सेवाराम शर्मा, निवासी मकान नं0 115 गली नं0 5 रोचीपुरा थाना पटेलनगर देहरादून।

——————————————अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–154/14
अंतर्गत धारा –498ए,323,504,328 आई.पी.सी.
व 3/4 दहेज अधिनियम
थाना– पटेलनगर,जिला देहरादून।

अधिवक्ता अभियुक्त–श्री विजय भूषण पाण्डे
अधिवक्ता अभियोजन पक्ष– श्री संजीव सिसोदिया, ए.डी.जी.सी. फौजदारी

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत सत्र विचारण में अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के विरूद्ध पुलिस थाना पटेलनगर, जिला देहरादून की पुलिस द्वारा 498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम व अभियुक्त आलोक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 323 व 504 आई0पी0सी0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामला सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 21.12. 2015 द्वारा सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया जहां से हस्तान्तरण द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। इस न्यायालय के द्वारा अभियुक्त आलोक के विरूद्ध धारा 328 आई0पी0सी0 का अपराध हटाकर संशोधित आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 323 व 504 आई0पी0सी0 व 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम में विरचित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा रूचि शर्मा ने दिनांक 28.03.2014 को थाने पर इस आशय की तहरीर दी है कि वादिनी का विवाह हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 24.11.2013 को श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री

सेवाराम निवासी 115 गली नं0 5 रोचीपुरा, ब्राहमणवाला थाना पटेलनगर, देहरादून (नौकरी का पता E X 1 सर्विसेज, सैक्टर 58 नोएडा) को स्थान पारस वैडिंग प्वाइंट, पटेलनगर, देहरादून में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी के पिता बड़ी सब्जी मंडी निरन्जनपुर देहरादून में सब्जी का आढ़त का व्यवसाय करते हैं। विवाह मे प्रार्थिनी के पिता ने प्रार्थिनी को घर की जरूरत का हर सामान, सोने चान्दी के जेवर, सास को सोने के टॉप्स, फर्नीचर, एक्टीवा स्कूटर इत्यादि दिया था, तथा टीके में प्रार्थिनी के पति को 31,000/– रूपये नगद सगाई में तथा जोड़े इत्यादि भेंट स्वरूप दिए थे। तथा विवाह में प्रार्थिनी के पिता ने लगभग 15,00,000/– रूपये की धनराशि व्यय की थी। विवाह के पश्चात से ही प्रार्थिनी का पति अलोक शर्मा, प्रार्थिनी की सास श्रीमती लक्ष्मी देवी, प्रार्थिनी की नन्दे श्रीमती अल्का मिश्रा, श्रीमती सन्तोष शर्मा समय समय पर प्रार्थिनी के ससुराल में आते रहते थे एवं प्रार्थिनी को कम दहेज जाने के ताने मारते रहते थे, तथा प्रार्थिनी को उलाहना देते रहते थे कि तेरे बाप ने तो मुफ्त में विवाह कर दिया, तथा नगद धनराशि भी न के बराबर दी है, हमारा लडका 50,000/– रूपये प्रतिमाह कमाता है, उसके तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे हम तो कमीनों के बीच में फंस गए हैं। तथा विवाह के पश्चात प्रार्थिनी का पति अपने नौकरी के स्थान पर चला जाता था, तथा 10–15 दिन में एकबार ही वापस आता था। प्रार्थिनी की सास श्रीमती लक्ष्मी देवी व उसकी उक्त दोनों पुत्रियां प्रार्थिनी को कम दहेज के ताने देकर तंग व परेशान करती चले आ रहे थे। तथा 5,00,000/– रूपये नगद व वैगन–आर गाडी की मांग करते थे, मना करने पर प्रार्थिनी के साथ उक्त लोगों द्वारा दुरव्यवहार किया जाता था और ताना दिया जाता था कि तेरी बड़ी बहन शूचि की शादी में तो तेरे बाप ने गाड़ी दी है और हम को तो कुछ भी नहीं दिया। प्रार्थिनी जब भी अपने पिता के घर जाती थी तो प्रार्थिनी की सास द्वारा और प्रार्थिनी को चरित्रहीन होने का ताना देकर कहने लगी तेरा पति तो नौकरी पर बाहर रहता है और तू गुलछर्रे उडाने बाहर जाती है, एक तो तेरे बाप ने कुछ भी विवाह में नहीं दिया, उपर से मैं तेरी चौकीदारी भी करूं और प्रार्थिनी पर लांछन लगाती थी कि तू अवारा है तेरा कई जगह चक्कर चल रहा है। प्रार्थिनी की सास प्रार्थिनी के साथ मारपिटाई भी करती थी, जब प्रार्थिनी अपने पति से शिकायत करती थी तो वह यह कहकर टाल देता था कि मैं कुछ दिनों में तुम्हे अपनी नौकरी वाले शहर नोएडा बड़ा मकान किराये पर लेकर, ले जाउंगा, तुम कुछ दिन सहन कर लो। दिनांक 01.03.2014 को प्रार्थिनी के भाई के मित्र श्री धर्मेश के पुत्र का

जन्मदिन था, जिसमें प्रार्थिनी को भी निमन्त्रण दिया गया था, तब प्रार्थिनी ने अपने पति से मोबाइल पर कॉल करके पूछा कि मैं अपने भाई के साथ वहां चली जाउं तो उसने बोला कि माता जी से पूछ लेना, तब चली जाना और रात को वापस आ जाना। जब सांय लगभग 5 बजे प्रार्थिनी ने अपनी सास से उक्त जन्मदिन के समारोह में जाने हेतु अनुमति मांगी तो प्रार्थिनी की सास ने कहा कि तूने कुछ खाया हुआ नहीं है तथा थोड़ा बहुत खाना खाकर जाना और प्रार्थिनी की सास ने प्रार्थिनी को खाने के लिए खाना दिया तो खाने के थोडी देर बाद प्रार्थिनी की तबियत खराब होने लगी और उसको चक्कर आने लगे तो सास ने कहा कि गैस बनी होगी थोडी देर में सही हो जाएगी। परन्तु लगातार तबियत बिगडने लगी तो सांय लागभग 5.30 बजे प्रार्थिनी ने अपनी बहन श्रीमती शुचि शर्मा के मो0 पर फोन किया तो प्रार्थिनी की बहन व जीजा प्रार्थिनी के भाई को लेकर आपनी गाडी से प्रार्थिनी के ससुराल पहुंच गए तो प्रार्थिनी की सास ने दरवाजा नहीं खोला तथा बड़ी मुश्किल से हल्ला मचाने पर प्रार्थिनी के भाई, बहन व जीजा अन्दर आए और प्रार्थिनी को तुरन्त इन्द्रेश अस्पताल देहरादून लेकर गए तथा प्रार्थिनी के भाई ने जब पूछताद की तो प्रार्थिनी की सास हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई थी, मेरे से गलती हो गई आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगी। उस समय प्रार्थिनी के परिवार वाले प्रार्थिनी की तीमारदारी में व्यस्त थे, तथा परेशान थे। दिनांक 02.03.2014 को शाम को प्रार्थिनी का पति आलोक शर्मा भी नोयडा से आ गया तथा दिनांक 03.03.2014 को प्रार्थिनी को उसके पिता अस्पताल से अपने घ ार ले गए। चूंकि उस समय प्रार्थिनी के पति ने आश्वासन दिया था कि प्रार्थिनी उसकी मॉ को माफ कर दे, तथा वह प्रार्थिनी का स्वास्थ्य ठीक होने पर सीधे प्रार्थिनी को अपनी नौकरी वाले स्थान नोएडा ले जाएगा तथा अपनी माता से कोई सम्बन्ध भविष्य में नहीं रखेगा। परन्तु कुछ दिन बाद वह मुकर गया वह तभी से प्रार्थिनी अपने पिता के पास रह रही है। प्रार्थिनी का समस्त स्त्रीधन, जेवरात इत्यादि प्रार्थिनी के पति एंव सास के कब्जे में ही है। तत्पश्चात मिटिंग होने पर सब रिश्तेदारों ने प्रार्थिनी की सास द्वारा आयन्दा ऐसा न करने के आवश्वासन पर कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की तथा प्रार्थिनी का पति भी अपनी नौकरी पर चला गया। प्रार्थिनी ने यह सोचकर कि उसका घर बसा रहेगा उस समय कोई शिकायत नहीं की। उपरोक्त दुर्घटना होने के बावजूद प्रार्थिनी के मायके वालों ने प्रार्थिनी की सास व पति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तथा सोचा कि शायद अब दोनों सुधर

जाएंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। परन्तु अब प्रार्थिनी का पति भी अपने वायदे से मुकर गया है, कुछ ठीक रहने के बावजूद फोन पर प्रार्थिनी की सास श्रीमती लक्ष्मी देवी व उसका पुत्र श्री आलोक शर्मा फिर पहले की तरह प्रार्थिनी को ताने दे रहे हैं हमारे घर में तभी घुसना जब अपने बाप से दहेज में पांच लाख रूपये नगद व वैगन–आर गाडी लायगी। अतः रिपोर्ट दर्ज करे कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की है।

3. वादिनी मुकदमा/पीड़िता की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पटेलनगर पर मु0अ0सं0–154/2014 अंतर्गत धारा–498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम राज्य बनाम आलोक शर्मा शर्मा, लक्ष्मी देवी, श्रीमती अल्का मिश्रा व श्रीमती सन्तोष शर्मा के विरूद्ध दर्ज किया गया। चिक काटी गयी तथा अपराध की प्रविष्टि जी0डी0 में अंकित की गयी। दौराने विवेचना वादी मुकदमा एवं गवाहों के बयानों के आधार पर घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया व गवाहों के बयान लिये। बाद विवेचना मामले में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती अल्का मिश्रा व श्रीमती संतोष शर्मा के विरूद्ध कोई आरोप नहीं मिलने के कारण उनका नाम आरोप पत्र से पृथक किया गया। विवेचक द्वारा आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण को न्यायालय में आहूत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हए। पत्रावली में दिनॉक 13.10.2015 को अभियुक्तगण आलोक शर्मा व लक्ष्मी देवी के विरूद्व धारा–498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु न्यायालय में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0–1 वादिनी रूचि शर्मा, पी0डब्लू0–2 सतीश कुमार, पी0डब्लू0–3 मयंक शर्मा, पी0डब्लू0–4 तरूण शर्मा, पी0डब्लू0–5 डॉक्टर संजय गुप्ता पी0डब्लू0–6 शुचि शर्मा, पी0डब्लू0–7 एस0आई0 कबूल सिंह, को परीक्षित कराया गया।

6. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से तहरीर प्रदर्श क–1, दहेज के समान की सूची विवरण प्रदर्श क–2, चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–3, महिला हैल्प लाईन को लिखित पत्र प्रदर्श क–3/1, गिरफतारी मेमो प्रदर्श क–4,

सूचना मेमो प्रदर्श क–5, आरोप पत्र प्रदर्श क–6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7, नकल रपट प्रदर्श क–8 आदि प्रलेख प्रस्तुत किये गये जिन्हें साक्षियों द्वारा साबित करवाया गया।

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के बयान दिनांकित 14.02.2019 अंतर्गत धारा–313द0प्र0सं0 अभिलिखित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलने तथा पीड़िता द्वारा उसके विरूद्ध झूठी तहरीर देने का कथन किया है।

8. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण से अपना बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूछा गया तो अभियुक्तगण ने अपना बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया तथा डी0डब्ल्यू 1 के रूप में ईश्वर चन्द शर्मा को न्यायालय में परीक्षित कराया।

9. अभियुक्तगण के अधिवक्ता एवं अभियोजन की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती रूचि शर्मा के साथ उसकी शादी के दिनांक 24.11.2013 के पश्चात से भिन्न–भिन्न समय पर लगातार क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया। शादी के उपरान्त से ही श्रीमती रूचि शर्मा को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई व जरिमाकारी ओषधी दी गई। वादिनी मुकदमा श्रीमती रूचि शर्मा को शादी के बाद से लगातार उससे दहेज में पांच लाख रूपये तथा वैगनआर गाडी की मांग की गई तथा विभिन्न तिथियों पर उसके साथ दहेज की मांग हेतु क्रूरता की गई।

11. उपरोक्त वाद में अब यह तय किया जाना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष फौजदारी वाद में वांछित साक्ष्य सिद्धि सिद्धान्त युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर पाने में सफल हुआ है या नहीं?

12. अभियोजन द्वारा साक्ष्य के समर्थन में कुल 07 गवाह पेश किए गए हैं। संक्षेप में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों का विहंगम अवलोकन (birds eye view) केस के निष्कर्ष किए जाने से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

13. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू01 रूचि शर्मा जो वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि– मेरा विवाह आलोक शर्मा के साथ दिनांक 24.11.2013 को देहरादून में हुआ था विवाह पटेल नगर में पारस वैडिंग प्वाइंट में हुआ था। मेरे पिता द्वारा शादी में घर की हर जरूरत का सामान दान स्वरूप दिया था। जिसमें

टीके में 31,000/– रूपये नगद तथा जोडे कपडो के भी दिए थे कान के, टाप्स सोने के मेरे पति को गले की सोने की चैन दिए थे। मेरे पति को सोने की अंगूठी भी दी थी। सास को कान के टाप्स भी दिए थे। मुझे उपहार स्वरूप एक गले का सोने का सैट व कान के टाप्स भी दिए थे। मुझे एक सोने की अंगूठी भी दी थी और चार सोने के कंगन भी दिए थे। एक जोडी चांदी की पाजेब भी दी थी तीन जोडी चांदी के बिछुए आदि दिए थे। मेरे पिता ने शादी में लगभग 15 लाख रूपये से अधिक का खर्चा किया था। विवाह के तीन–चार दिन बाद ही मेरी सास लक्ष्मी देवी के द्वारा और नन्द अलका मिश्रा और संतोष शर्मा मुझे ताने देते थे। दहेज में वैगन–आर गाडी व पांच लाख नगद की मांग करते थे और मेरे साथ इनके द्वारा कई बार मारपीट भी इनके द्वारा की गई। ये कहते थे कि तू हमारी हैसियत के अनुसार दान दहेज नहीं लाई है व गाली गलोच करते थे कि तू भूखे नंगे घर से आई है। मेरे पति नौकरी के सम्बन्ध में नोएडा चले जाते थे तो मेरी सास व दोनों नन्दे मेरे साथ मारपीट व गाली गलोच करती थी और ताने देती थी कि तेरे बाप ने अपनी बडी लडकी शुचि की शादी में गाडी दी थी और तेरी शादी में कुछ नहीं दिया। मेरी सास व नन्दे मेरे चरित्र पर लानछन लगाती थी। इन सब की शिकायत मैं अपने पति से करती थी तो वे यह कहकर टाल देते थे कि मैं तुम्हें बाद में अपनी नौकरी वाले स्थान नोएडा ले जाउंगा। 01.03.2014 को मुझे अपने भाई के मित्र धर्मेश जो हमारे लिए भाई के समान हे उनके बेटे के जन्मदिन में मुझे जाना था तो मैंने इस बात के लिए अपने पति को नोएडा फोन किया तो उसने मुझे कहा कि तुम अपनी सास से पूछ कर चले जाना। जब मैंने अपनी सास से जन्मदिन में जाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ थोडा बहुत खाना खा लो फिर शाम को चले जाना अभी काफी समय है। बिना खाए तबियत खराब हो जाएगी। तब मेरी सास ने मुझे खाने के लिए दाल रोटी दी थी। दाल रोटी खाने के बाद मेरी तबियत बिगडने लगी थी। मुझे उल्टी आने लगी तो इसके बारे में मैंने अपनी सास को कहा तो उसने कहा कि ऐसे ही गैस बनी होगी। थोडी देर में आराम हो जाएगा। लेकिन मेरी तबियत लगातार खराब होने लगी। तबियत बिगडने के बाद मेरी सास द्वारा मेरी तबियत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही इलाज हेतु किसी डाक्टर को बुलाया गया। तंग आकर मैंने अपनी तबियत खराब होने की सूचना शाम को लगभग साडे पांच बजे अपनी बहन शुचि को फोन करके दी। इसके पश्चात मेरी बहन शुचि व मेरे जीजा जी एवं मेरा भाई मयंक शर्मा गाडी लेकर ससुराल पहुंचे परन्तु मेरी

सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला था। मेरी तबियत बहुत ज्यादा खराब थी मुझे थोडा थोडा होश था। जब मेरे भाई बहन जीजा मेरे ससुराल पहुंचे तो उन्होने मेरी तबीयत के बारे मे पूछताछ की तब मेरी सास थोडा डरी और मेरी भाई से माफी मांगने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी बहन के खाने में चूंहे मारने की दवाई मिला दी है। मुझे माफ कर दो। मेरे भाई बहन मुझे तुरन्त अस्पताल इन्द्रेश ले गए जहां मेरा इलाज चला। अगले दिन 02.03.2014 की शाम को मेरे पति नोएडा से आ गए थे उस समय मैं अस्पताल में भर्ती थी। अगले दिन दिनांक 03.03.2014 को मैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरान्त मेरे पिता मुझे अपने घर ले गए। अगले दिन दिनांक 04.03.2014 को मेरे पिता के घर पर मेरे पति और मेरी नन्द अलका मिश्रा आए थे और कहने लगे कि मेरी मॉ से गलती हो गई है उसे माफ कर दो। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरा पति अपनी नोएडा ले जाने वाली बात से मुकर गया और वह मुझे नोएडा नहीं लेकर गया। उसके बाद मैं अपने पिता के पास ही रही। मेरा पति व ससुराल वाले मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। ससुराल पक्ष के आश्वासन पर मैंने कोई शिकायत उस समय नहीं करी थी। परन्तु मेरा पति व ससुरात पक्ष वाले अपनी बात से मुकर गए तथा दुबारा से गाडी व पैसों की मांग करने लगे जिससे तंग व परेशान होकर मैंने दिनांक 28.03.2014 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को एक कम्प्यूटर टाईप शुदा शिकायती पत्र दिया जो पत्रावली पर का0सं0 3क/4 ता 3क/5 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जिसकी मैं आज पुष्टि करती हूं। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उपहार स्वरूप मेरे पिता द्वारा विवाह में जो सामान दिया था वह सूची पत्रावली पर का0सं0 8क/4 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पुष्टि करती हूं इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। एक प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा महिला हैल्प लाईन में दिया गया था यह पत्रावली पर का0सं0 8क/3 है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है।

14. साक्षी पी0डब्लू02 सतीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी बेटी की शादी दिनांक 24.11.2013 को आलोक शर्मा के साथ हुई थी। मैने अपनी बेटी की शादी में घर की जरूरत का हर सामान सोने चांदी के जेवर, सास को सोने के टॉप्स, फर्नीचर, एक्टिवा स्कूटर तथा अन्य सामान दिया था। टीके में 31 हजार रूपये नगद दामाद को तथा अन्य सामान दिया था। मेरे द्वारा बेटी की शादी में लगभग 15 लाख रूपये खर्च किये गये थे। शादी के बाद से ही मेरे दामाद आलोक शर्मा मेरी बेटी की सास लक्ष्मी देवी मेरी बेटी की दोनो ननद अलका व

सन्तोश शादी में दिये गये दान दहेज से खुश नही थे और मेरी बेटी को अक्सर कम दहेज लाने का ताना देते रहते थे। कहते थे कि तेरे बाप ने मुफ्त में शादी कर दी है। हमारा लड़का 50 हजार रूपये महीने कमाता है। तेरे घरवालों ने नगद धनराशि भी न के बराबर दी। हम कमीनों के बीच में फंस गये। शादी के बाद मेरा दामाद अपनी नौकरी पर बाहर चला जाता था। 10–15 दिन में एक बार ही वापस घर आता था। मेरी बेटी की सास व उसकी दोनो ननद उसको कम दहेज लाने के ताने देकर मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करती थी और उससे दहेज में 5 लाख रूपये नगद तथा वैगन आर कार लाने की मांग करती थी। उसके मना करने पर सास तथा दोनो ननद उससे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करती थी। उस पर कई बार सास के द्वारा चरित्रहीन होने का लांक्षन भी लगाया जाता था। जब इन सब बातों की शिकायत मेरी बेटी मेरे दामाद आलोक से करती थी तो वह उसको नोएडा ले जाने की बात करता था लेकिन लेकर नही जाता था और उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नही देता था। दिनांक 01.03.2014 को मेरे बेटे मयंक के दोस्त धर्मेश के लड़के का जन्मदिन था जिसमें मेरी बेटी को भी बुलाया गया था। मेरी बेटी ने जन्मदिन में जाने के लिए मेरे दामाद से पूछा था तो दामाद ने उसको बोला था कि अपनी सास से पूछकर चली जाओ। समय शाम के पांच बजे के लगभग जब मेरी बेटी ने अपनी सास से जन्मदिन में जाने के लिए पूछा तो उसकी सास ने उसे कहा कि तूने कुछ खाया नही और थोड़ा खाना खाकर जा। मेरी बेटी के सास ने मेरी बेटी को खाने के लिए दिया तो खाना खाने के कुछ देर बाद ही मेरी बेटी की तबीयत खराब होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। इस पर उसकी सास ने कहा कि गैस बन गयी होगी और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी लेकिन मेरी बेटी की तबीयत लगातार बिगड़ती गयी और लगभग शाम साढ़े पांच बजे मेरी बेटी ने अपनी बड़ी बहन सुचि को फोन कर अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी। मेरी बेटी सुचि उसका पति तरूण शर्मा और मेरा बेटा मयंक उसके ससुराल गये तो मेरी बेटी की सास ने घर का दरवाजा नही खोला। काफी हल्ला करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये लोग घर के अंदर गये। मेरे बेटे मयंक ने उसकी सास से जब पूछा कि इसकी तबीयत कैसे खराब हुई है तो उसकी सास ने कहा कि मेरे से गलती हो गयी है मैने तुम्हारी बहन के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। आगे से ऐसी गलती नही होगी। इस जानकारी पर ये लोग मेरी बेटी रूचि को तुरन्त इन्द्रेश अस्पताल ले गये, जहां उसको भर्ती किया गया, जहां पर मेरी बेटी लगभग तीन दिन

भर्ती रही थी और उसका इलाज चला था। दिनांक 02.03.2014 की शाम को मेरा दामाद आलोक भी नोएडा से आ गया था। मैं दिनांक 03.03.2014 को अपनी बेटी रूचि को अस्पताल से अपने घर ले गया था। इस सारी घटना की शिकायत हमने अपने दामाद से की तो उसने कहा कि मेरी मां को माफ कर दो। भविश्य में ऐसे कोई गलती नही होगी और मैं आपकी बेटी को ठीक होने पर अपने साथ नोएडा ले जाउंगा लेकिन काफी समय बीतने के पश्चात भी मेरी बेटी का पति मेरी बेटी को अपने साथ नोएडा नही ले गया। तभी से मेरी बेटी मेरे साथ ही रह रही है। मेरी बेटी का समस्त स्त्री धन, जेवरात उसके पति और सास के कब्जे में हैं। बेटी की सास के भविश्य में उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न करने का आश्वासन देने पर तथा बेटी के पारिवारिक भविश्य को ध्यान में रखते हुए मेरे द्व ारा यह सोचकर कि उसका घर बसा रहे इस घटना की कोई शिकायत उस समय नही की थी लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वाले अपने किये गये वायदे से मुकर गया और फोन पर मेरी बेटी को कम दहेज लाने के ताने फिर से देने शुरू कर दिये तथा कहने लगे कि हम तुझे तभी लेकर जाएगे जब तू अपने घर से 5 लाख रूपये और वैगन आर कार दहेज में लेकर आयेगी। इस घटना की रिपोर्ट मेरी बेटी रूचि ने एस0एस0पी0 देहरादून के माध्यम से थाना पटेलनगर में दर्ज करवायी थी। मेरी बेटी को जो शादी में सामान दिया गया था उसकी सूची पत्रावली पर कागज संख्या 8क/4 जो कि प्रदर्श क–2 है, पर संलग्न है, सूची को देखकर गवाह ने बताया कि इसमें जो सामान लिखा हुआ है यह समस्त सामान मेरे द्वारा अपनी बेटी की शादी में उसको दिया था,जो कि ससुराल पक्ष के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।

15. पी0डब्लू03 मयंक शर्मा, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि मेरी बड़ी बहन रूचि की शादी दिनांक 24.11.2013 को आलोक शर्मा के साथ हुई थी। मेरे पिताजी ने मेरी बहन रूचि की शादी में उनकी घर की जरूरत का सामान तथा सोने–चांदी के जेवर, सास को सोने के टॉप्स, फर्नीचर, एक्टिवा स्कूटर तथा अन्य सामान दिया था। टीके में 31 हजार रूपये नगद बहनोई को तथा अन्य सामान दिया था। मेरे बहन की शादी में लगभग 15 लाख रूपये खर्च हुये थे। शादी के बाद से ही मेरे बहनोई आलोक शर्मा मेरी बहन की सास लक्ष्मी देवी, मेरी बहन की दोनों ननद अलका व सन्तोश शादी में दिये गये दान दहेज से खुश नही थे और मेरी बहन को कम दहेज लाने का ताना देते रहते थे और उनको कहते थे कि तेरे बाप ने तेरी शादी मुफ्त में कर दी है। हमारा लड़का तो 50 हजार रूपये महीने कमाता है।

तेरे घरवालों ने नगद धनराशि भी न के बराबर दी। हम कमीनों के बीच में फंस गये। शादी के बाद मेरे बहनोई अपनी नौकरी पर बाहर चले जाते थे और 10–15 दिन में एक बार ही वापस घर आते थे। मेरी बहन की सास व उनकी दोनो ननद उनको कम दहेज लाने के ताने देकर मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करती थी और उनसे दहेज में 5 लाख रूपये नगद तथा वैगन आर कार लाने की मांग करते थे। उनके मना करने पर उनकी सास तथा दोनों नन्दे उनको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करती थी। उन पर कई बार सास के द्वारा चरित्रहीन होने का लानछन भी लगाया जाता था। जब इन सब बातों की शिकायत मेरी बहन मेरे बहनोई आलोक से करती थी तो वह उसको नोएडा ले जाने की बात करते थे लेकिन लेकर नही जाते थे और उसकी शिकायतों पर भी कोई ध्यान नही देते थे। दिनांक 01.03.2014 को मेरे दोस्त धर्मेश के लड़के का जन्मदिन था जिसमें मेरी बहन रूचि को भी बुलाया गया था। मेरी बहन ने जन्मदिन में जाने के लिए मेरे बहनोई से पूछा तो मेरे बहनोई ने उनको बोला था कि अपनी सास से पूछकर चली जाओ। समय शाम के पांच बजे के लगभग जब मेरी बहन ने अपनी सास से जन्मदिन में जाने के लिए पूछा तो उनकी सास ने उन्हे कहा कि तूने कुछ खाया नही और थोड़ा खाना खाकर जा। मेरी बहन की सास ने मेरी बहन को खाने के लिए दिया तो खाना खाने के कुछ देर बाद ही मेरी बहन की तबीयत खराब होने लगी और उन्हे चक्कर आने लगे। इस पर उनकी सास ने कहा कि गैस बन गयी होगी और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी लेकिन मेरी बहन की तबीयत लगातार बिगड़ती गयी और लगभग शाम साढ़े पांच बजे मेरी बहन ने मेरी दूसरी बड़ी बहन सुचि को फोन कर अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी। मेरी बहन शुचि उनके पति तरूण शर्मा और मैं उनके ससुराल गये तो मेरी बहन की सास ने घर का दरवाजा नही खोला। काफी हल्ला करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम लोग घर के अंदर घुस पाये जब मैने उनकी सास से उनकी तबीयत कैसे खराब हुई है, इसके बारे में पूछा तो उनकी सास ने कहा कि मेरे से गलती हो गयी है मैने तुम्हारी बहन के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। आगे से ऐसी गलती नही होगी। इस जानकारी पर हम लोग तुरन्त ही मेरी बहन रूचि को लेकर इन्द्रेश अस्पताल ले गये, जहां उनको भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज हुआ था। मेरी बहन अस्पताल में लगभग तीन दिन भर्ती रही। तीसरे दिन दिनांक 03.03.2014 को हम अपनी बहन रूचि को अस्पताल से अपने घर ले आये थे। दिनांक 02.03.2014 की शाम को

मेरे बहनोई आलोक भी नोएडा से आ गये थे। इस सारी घटना की शिकायत हमने अपने बहनोई से की तो उन्होने कहा कि मेरी मां को माफ कर दो। भविश्य में ऐसे कोई गलती नही होगी और मैं आपकी बहन को ठीक होने पर अपने साथ नोएडा ले जाउंगा लेकिन काफी समय बीतने के पश्चात भी मेरे बहनोई आलोक शर्मा उनको अपने साथ नोएडा नही ले गया। तभी से मेरी बहन रूचि हमारे साथ घर पर ही रह रही है। मेरी बहन का समस्त स्त्री धन, जेवरात मेरे बहनोई और उनकी सास के कब्जे में हैं। बहन की सास के भविश्य में उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न करने का आश्वासन देने पर तथा बहन के पारिवारिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यह सोचकर कि उसका घर बसा रहे इस घटना की कोई शिकायत उस समय नही की थी लेकिन मेरी बहन के ससुराल वाले अपने किये गये वायदे से मुकर गये और फोन पर मेरी बहन को कम दहेज लाने के ताने फिर से देने शुरू कर दिये तथा कहने लगे कि हम तुझे तभी लेकर जाएगे जब तू अपने घर से 5 लाख रूपये और वैगन आर कार दहेज में लेकर आयेगी। इस घटना की रिपोर्ट मेरी बहन रूचि ने एस0एस0पी0 देहरादून के माध्यम से थाना पटेलनगर में दर्ज करवायी थी। मेरी बहन को जो शादी में सामान दिया गया था उसकी सूची पत्रावली पर कागज संख्या 8क/4 जो कि प्रदर्श क–2 है, पर संलग्न है, सूची को देखकर गवाह ने बताया कि इसमें जो सामान लिखा हुआ है यह समस्त सामान मेरे पिताजी द्वारा मेरी बहन की शादी में उसको दिया था, जो कि ससुराल पक्ष के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।

16. साक्षी पी0डब्लू04 तरूण शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि मेरी साली रूचि की शादी आलोक शर्मा के साथ हुई थी। शादी में मेरे ससुर सतीश कुमार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान–दहेज दिया था और शादी में लगभग 15 लाख का खर्चा आया था लेकिन रूचि के ससुराल वाले इस दान–दहेज से खुश नही थे और दहेज में पांच लाख रूपये नगद और कार की मांग करते थे। दहेज न देने पर उसको मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते थे। इस बात को रूचि अपने मायके में आकर बताती थी और मेरी पत्नी से भी इसके बारे में बोलती थी। दिनांक 01.03.2014 को मेरे साले मयंक के दोस्त का जन्मदिन शाम के समय था और उसमें रूचि को भी बुलाया गया था लेकिन शाम 5:30 बजे के लगभग मेरी पत्नी शुचि को रूचि ने फोन करके बताया कि उसकी तबीयत खराब है। इस सूचना पर मैं, शुचि और मयंक रूचि के घर गये। काफी प्रयास के बाद उसकी सास ने घर

का दरवाजा खोला। मयंक ने जब रूचि की तबीयत के बारे में उसकी सास से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गयी है। मुझे माफ कर दो। मैने रूचि को चूहे मारने की दवा खाने में मिलाकर खिला दी। आगे से ऐसी कोई गलती नही करूगी। हम तुरन्त उसको लेकर इन्द्रेश अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे और वहां उसको एडमिट किया। रूचि वहां 03.03.2014 को भर्ती रही और उसके बाद मेरे ससुर उसे अपने साथ अपने घर ले गये। तभी से रूचि अपने मायके में रह रही है। इस घटना के बाद आलोक ने आश्वासन दिया था कि वह उसे नोएडा ले जाएगा और किसी तरह की परेशानी नही होने देगा लेकिन आलोक उसको अपने साथ लेकर नही गया। तब तंग आकर इस घटना की रिपोर्ट रूचि ने एस0एस0पी0 महोदय के द्वारा थाना पटेलनगर में दिनांक 28.03.2014 दर्ज की थी।

17. साक्षी पी0डब्लू05 डॉक्टर संजय गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 01.03.2014 को मैं इन्द्रेश अस्पताल में गैस्ट्रो विभाग में इन्चार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन समय साढे सात बजे सांय पीडिता श्रीमती रूची शर्मा को इमरजेन्सी आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया जहां पर पीडिता द्वारा यह बताया गया कि चूंहे मारने की दवाई का सेवन इमरजेंसी में पहुंचने से आधा घण्टा पूर्व किया गया था। मरीज भर्ती होते समय उल्टी कर रहा था और पेट में जलन तथा सिर दर्द की शिकायत कर रहा था। मरीज की चिकित्सीय जांच एवं ब्लड प्रेशर, पल्स, ई0सी0जी0 आदि सामान्य स्तर पर पाए गए थे। ऑब्जरवेसन हेतु आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया था पीडिता की खून की जांच में खून सामान्य से थोड़ा कम पाया गया। जांच में एम0सी0वी0 कम पाया गया जो सामान्यतः आइरन की कमी से होता है। उनकी अन्य जांचे व अन्डरस्कोपी सामान्य पाई गई थी। 48 घंटे तक मैंने उन्हें आई0सी0यू0 में रखा था तथा सभी कुछ सामान्य पाए जाने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया था। दि0 03.03.2014 को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। पीडिता को अस्पताल नं0 1255015 व सी0आर0 नं0 5059/14 पर भर्ती किया गया था। पीडिता रूची शर्मा की केस समरी पत्रावली पर कागज सं0 8क/6 पर सलग्न है जिस पर गवाह ने देखकर बताया कि यह केस समरी मेरे द्वारा तैयार कराई गई थी तथा तैयार कराने के बाद मैंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने इस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान पुश्टि की जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पीडीता की डिस्चार्ज समरी, 8क/7 तर सलग्न है जिस को देखरक गवाह ने बताया कि यह ड्यूटी डॉक्टर के लेख में है।

18. साक्षी पी0डब्लू0 6 शुचि शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि मेरी छोटी बहन रूचि की शादी दिनांक 24.11.2013 को आलोक शर्मा के साथ हुई थी। मेरे पिताजी ने मेरी बहन रूचि की शादी में उनकी घर की जरूरत का सामान तथा सोने–चांदी के जेवरात, सास को सोने के टॉप्स, फर्नीचर, एक्टिवा स्कूटर तथा अन्य जरूरत का सामान दिया था। मेरी बहन के टीके में बहनोई को 31 हजार रूपये नगद तथा अन्य सामान दिया था। मेरी छोटी बहन की शादी में लगभग 15 लाख रूपये आस पास खर्चा हुआ था। शादी के बाद से ही मेरी छोटी बहन का पति आलोक शर्मा, मेरी बहन की सास लक्ष्मी देवी, मेरी बहन की दोनों ननद अलका व सन्तोश शादी में दिये गये दान दहेज से खुश नही थे और मेरी बहन को कम दहेज लाने का ताना समय समय पर देते रहते थे और उसको कहते थे कि तेरे बाप ने तेरी शादी बिना कोई खर्चा किए मुफ्त में कर दी है। हमारा लड़का तो 50 हजार रूपये महीने कमाता है।मेरी छोटी बहन के परिवार वाले उससे कहते थे कि तेरे घरवालों ने नगद धनराशि भी न के बराबर दी। हम कैसे लोगों के बीच में फंस गये। मेरी छोटी बहन का पति आलोक शर्मा शादी के बाद अपनी नौकरी पर बाहर चले जाते थे और 10–15 दिन में एक बार ही घर आते थे। मेरी छोटी बहन की सास लक्ष्मी देवी व उनकी दोनो ननद संतोश व अलका उसको कम दहेज लाने के लिए ताने देते थे और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते थे और मेरी बहन से दहेज में 5 लाख रूपये नगद तथा वैगन– आर कार लाने की मांग करते थे। उसके मना करने पर उसकी सास तथा दोनों ननदे उसको तंग व परेशान करती थी। मेरी बहन पर कई बार सास के द्वारा चरित्रहीन होने का लांक्षन भी लगाया जाता था। जब इन सब बातों की शिकायत मेरी बहन अपने पति आलोक से करती थी तो वह उसको अपने साथ नोएडा नौकरी पर ले जाने की बात करते थे लेकिन मेरी बहन को लेकर नही जाते थे और न ही उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान देते थे। दिनांक 01.03.2014 को मेरे भाई के दोस्त धर्मेश के लड़के का जन्मदिन था जिसमें मेरी छोटी बहन रूचि को भी बुलाया गया था। मेरी बहन ने जन्मदिन में जाने के लिए अपने पति आलोक से पूछा तो उसके पति ने उसे बोला था कि अपनी सास से पूछकर चली जाओ। शाम के पांच बजे के लगभग जब मेरी बहन ने अपनी सास से जन्मदिन में जाने के लिए पूछा तो उसकी सास ने मेरी बहन से कहा कि तूने कुछ खाया नही और थोड़ा खाना खाकर जा। मेरी बहन की सास ने मेरी बहन को खाने के लिए दिया तो खाना खाने के कुछ देर बाद ही मेरी

बहन की तबीयत खराब होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। इस पर मेरी बहन की सास ने कहा कि तेर पेट में गैस बन गयी होगी और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी लेकिन मेरी बहन की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गयी और लगभग शाम साढ़े पांच बजे मेरी बहन ने मुझे फोन कर अपनी खराब होती तबीयत के बारे में जानकारी दी। मैं अपने पति तरूण शर्मा और भाई मयंक अपनी छोटी बहन के ससुराल गये तो मेरी बहन की सास ने घर का दरवाजा नही खोला। काफी हल्ला करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम लोग घर के अंदर घुस पाये जब मेरे भाई ने बहन की सास से उसकी तबीयत कैसे खराब हुई है, इसके बारे में पूछा तो उसकी सास ने कहा कि मेरे से गलती हो गयी है मैने तुम्हारी बहन के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी थी। आगे से मैं ऐसी गलती नही करूंगी। इस जानकारी पर हम लोग तुरन्त ही मेरी बहन रूचि को लेकर इन्द्रेश अस्पताल ले गये, जहां उसको भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज हुआ था। मेरी बहन रूचि अस्पताल में लगभग तीन दिन तक भर्ती रही थी। दिनांक 03.03.2014 को हम अपनी बहन रूचि को अस्पताल से अपने घर ले आये थे। दिनांक 02.03.2014 की शाम को मेरी के पति आलोक भी नोएडा से आ गये थे। इस सारी घटना की शिकायत हमने आलोक से की थी तो उन्होने कहा कि मेरी मां को माफ कर दो। भविश्य में अब कोई गलती नही होगी और मैं आपकी बहन रूचि को ठीक होने पर अपने साथ नोएडा नौकरी पर ले जाउंगा लेकिन इस घटना के काफी समय बीतने के पश्चात भी मेरी बहन का पति आलोक शर्मा उसको अपने साथ नोएडा नही ले गया। तभी से मेरी बहन रूचि हमारे साथ घर पर ही रह रही है। मेरी बहन का समस्त स्त्री धन, जेवरात उसके पति आलोक और उनकी सास के कब्जे में हैं। बहन की सास ने भविश्य में रूचि के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न करने का आश्वासन दिया था और इसी आश्वासन पर तथा बहन के पारिवारिक भविश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यह सोचकर कि उसका घर बसा रहे इस घटना की कोई शिकायत उस समय नही की थी लेकिन मेरी बहन के ससुराल वाले अपने दिये गये आश्वासन और किए गए वायदे से मुकर गये और फोन पर मेरी बहन को कम दहेज लाने के ताने फिर से देने शुरू कर दिये तथा कहने लगे कि हम तुझे तभी अपने घर लेकर जाएगे जब तू अपने घर से 5 लाख रूपये और वैगन आर कार दहेज में लेकर आयेगी। इस घटना की रिपोर्ट मेरी बहन रूचि ने एस0एस0पी0 देहरादून के माध्यम से थाना पटेलनगर में दर्ज करवायी थी। मेरी बहन को जो शादी में सामान दिया गया था उसकी सूची

पत्रावली पर कागज संख्या 8क/4 जो कि प्रदर्श क–2 है, पर संलग्न है, सूची को देखकर गवाह ने बताया कि इसमें जो सामान लिखा हुआ है यह समस्त सामान मेरे पिताजी द्वारा मेरी बहन की शादी में उसको दिया था, जो कि ससुराल पक्ष के द्वारा प्राप्त कर लिया गया था तथा वर्तमान में सारा सामान हमें मिल गया है।

19. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू07 एस0आई0 कबूल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि दिनांक 05.06.2014 को थाना पटेल नगर में एस0आई0 के पद पर तैनात था। उसी दिन मु0अ0सं0 154/14 अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 328 आई0पी0सी0 व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम अलोक शर्मा आदि की विवेचना ग्रहण इन्सपेक्टर के आदेशानुसार मिली थी। उपरोक्त वाद की विवेचना ग्रहण कर उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त कर मेरे द्वारा नकल चिक, नलक रपट बयान एफआईआर लेखक सी0डी0 अंकित किए।

दि0 06.06.2014 को वादी मुकदमा रूचि शर्मा के बयान अंकित किए वादिनी ने अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है। दि0 11.06.2014 को अभियुक्त की उनके निवाश में दबिश दी गई लेकिन कोई नहीं मिला।

दि0 22.06.2014 को बयान गवाह सतीश शर्मा एवं तरूण शर्मा के सी0डी0 अंकित की।

दि0 28.06.2014 को पीडिता का मेडिकल करने वाले डाक्टर संजय गुप्ता के बयान लिए तथा सी0डी0 अंकित की तत्पश्चात मेडिकल समरी रिपोर्ट सी0डी अंकित की।

दि0 30.07.2014 को अभियुक्ता लक्ष्मी देवी की गिरफतारी हेतु उसके घर पर दबिश दी गई जहां पर अभियुक्ता बीमारी की हालत में मिली जिस कारण अभियुक्ता को 41ए सी0आर0पी0सी का नोटिस दिया गया और सी0डी0 अंकित किया गया।

दि0 06.08.2014 अभियुक्तगणों की गिरफतारी हेतु घर पर दबिश दी गई जहां पर अभियुक्ता लक्ष्मी देवी द्वारा बताया गया कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दि0 05.08.2014 को अभियुक्ता की गिरफतारी हेतु स्टे मिल गया है और बताया की स्टे की प्रति मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बयान अभियुक्ता सी0डी0 अंकित किए गए।

दि0 07.08.2014 को अभियुक्ता लक्ष्मी देवी की गिरफतारी हेतु आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल प्राप्त कर सी0डी0 अंकित किया गया।

दि0 08.08.2014 अभियुक्त आलोका शर्मा का एन0वी0डब्ल्यू मा0 न्यायालय से प्राप्त किया।

दि0 02.09.2014 को किराएदार मोहन लाल के बयान सी0डी0 अंकित किए।

दि0 05.09.2014 को अभियुक्त आलोक शर्मा ।को नोएडा से गिरफतार कर गिरफतारी मेमो मौके पर ही मेरे द्वारा तैयार किया गया। गिरफतारी मेमो पत्रावली पर का0सं0 6क है इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है। गिरफतारी मेमों पर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर हैं। गिरफतारी की सूचना अभियुक्त बताए अनुसार उसके जीजा अनिल शर्मा को दी गई और उनके हस्ताक्षर लिए गए ।सूचना मेमों पत्रावली पर का0सं0 7क है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

दि0 08.09.2014 को रूचि शर्मा के मजिद बयान सी0डी0 अंकित किए गए और उसी दिन गवाह मयंक शर्मा के बयान अंकित किए गए।

दि0 14.09.2014 को पीडिता के पिता सतीश शर्मा तथा उसी दिन मजिद बयान पीडिता के सी0डी0 अंकित किए गए।

विवेचना के दौरान अभियुक्ता अलका मिश्रा तथा श्रीमती संतोशी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला उनके नाम विवेचना से पृथक किए गए।

दि0 19.09.2014 को अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध धारा 328 आई0पी0सी0 का अपराध होना नहीं पाया गया तथा जांच से धारा 328 आई0पी0सी0 को पृथक कर उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगण आलोक शर्मा और लक्ष्मी देवी के विरूद्ध गवाहो के बयान तथा साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त मुकदमा सही पाया गया जिसके आधार पर अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0 154/14 अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504 आई0पी0सी0 व 3/4 दहेज अधिनियम तथा श्रीमती लक्ष्मी देवी के विरूद्ध 498ए, 323, 504, 328 आई0पी0सी0 व 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 178/14 दिनांकित 19.09.2014 न्यायालय में प्रेशित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर का0सं0 4क है यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

20. अभियोजन पक्ष के उक्त साक्षीगण की मुख्य परीक्षा के पश्चात बचाव पक्ष की तरफ से उक्त गवाहों की जिरह की गई। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में निष्कर्ष दिया जाना है।

निष्कर्ष

21. प्रस्तुत फौजदारी वाद अभियुक्त आलोक शर्मा व उसकी माता अभियुक्ता श्रीमती लक्ष्मीदवी के विरूद्ध धारा 498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0 154/14 के रूप में दर्ज करवाया गया था। आरम्भ में प्रस्तुत दो अभियुक्तगणों आलोक शर्मा व श्रीमती लक्ष्मी देवी के अलावा अभियुक्त आलोक शर्मा की दो बहनों अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा के विरूद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। परन्तु पुलिस के द्वारा अपनी विवेचना में अभियुक्त आलोक शर्मा की दोनों बहनों को निर्दोष पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए। आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने के उपरान्त अभियुक्त आलोक शर्मा व उसकी माता लक्ष्मीदवी के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र विरचित किए गए। परन्तु बाद में पुलिस के द्वारा पूरक चार्जशीट प्रस्तुत की गई तो अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध धारा 328 भा0दं0स0 का आरोप हटा दिया गया। तदनुसार उसके विरूद्ध विरचित आरोप दिनांकित 27.04.2016 में संशोधन कर संशोधित आरोप दिनांकित 28.07.2016 को धारा 498ए, 323 व 504 व 3/4 दहेज प्रतिषेद अधिनियम में विरचित किया गया।

22. वादिनी श्रीमती रूचि शर्मा पी0डब्लू 1 जो अभियुक्त आलोक शर्मा की पत्नी है ने अपनी तहरीर दिनांक 28.03.2014 में कथन किया गया है कि उसका विवाह हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 24.11.2013 को आलोक शर्मा से सम्पन्न हुआ था। प्रार्थनी के पिता बडी सब्जी मण्डी निरन्जनपुर देहरादून में सब्जी का आढ़त का व्यवसाय करते हैं और उनके द्वारा विवाह में लगभग 15 लाख रूपये खर्च किए गए थे। विवाह के पश्चात से ही प्रार्थनी का पति आलोक शर्मा, प्रार्थनी की सास लक्ष्मीदवी व प्रार्थनी की नन्दे अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा समय समय पर प्रार्थनी के ससुराल में आते रहेते थे और प्रार्थनी को कम दहेज लाने का ताना मारते रहते थे व कहते थे कि हमारा लडका 50,000/–रूपये प्रतिमाह कमाता है, उसके तो बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे हम तो कमीनों के बीच में फंस गए है। विवाह के पश्चात प्रार्थिनी का पति अपनी नौकरी के स्थान नोयडा चला जाता था तथा 10–15 दिन में एकबार ही वापस आता था। प्रार्थिनी की सास व प्रार्थिनी की नन्दे उससे पांच लाख रूपये व वैगन–आर गाडी की मांग करते थे व मना करने पर प्रार्थिनी के साथ दुरव्यवहार किया जाता था। प्रार्थिनी जब भी अपने पिता के घर जाती थी तो प्रार्थिनी की सास के द्वारा प्रार्थिनी को चरित्रहीन होने का ताना देती थी और कहती थी कि तेरे पति तो नौकरी पर बाहर है और तू गलछर्रे उडाने बाहर जाती है, एक

तो तेरे बाप ने कुछ भी विवाह में नहीं दिया, उपर से मैं तेरी चौकीदारी भी करूं और प्रार्थिनी पर लांछन लगाती थी कि तू अवारा है, तेरा कई जगह चक्कर चल रहा है। प्रार्थिनी की सास प्रार्थिनी के साथ मारपिटाई भी करती थी।

दिनांक 01.03.2014 को प्रार्थिनी के भाई के मित्र श्री धर्मेश के पुत्र का जन्मदिन था, जिसमें प्रार्थिनी को भी निमन्त्रण दिया गया था, तब प्रार्थिनी ने अपने पति से मोबाइल पर कॉल करके पूछा कि मैं अपने भाई के साथ वहां चली जाउं तो उसने बोला कि माता जी से पूछ लेना, तब चली जाना और रात को वापस आ जाना। जब सांय लगभग 5 बजे प्रार्थिनी ने अपनी सास से उक्त जन्मदिन के समारोह में जाने हेतु अनुमति मांगी तो प्रार्थिनी की सास ने कहा कि तूने कुछ खाया हुआ नहीं है तथा थोड़ा बहुत खाना खाकर जाना और प्रार्थिनी की सास ने प्रार्थिनी को खाने के लिए खाना दिया तो खोने के थोडी देर बाद प्रार्थिनी की तबियत खराब होने लगी और उसको चक्कर आने लगे तो सास ने कहा कि गैस बनी होगी थोडी देस में सही हो जाएगी। परन्तु लगातार तबियत बिगडने लगी तो सांय लागभग 5. 30 बजे प्रार्थिनी ने अपनी बहन श्रीमती शुचि शर्मा के मो0 पर फोन किया तो प्रार्थिनी की बहन व जीजा प्रार्थिनी के भाई को लेकर आपनी गाडी से प्रार्थिनी के ससुराल पहुंच गए तो प्रार्थिनी की सास ने दरवाजा नहीं खोला तथा बड़ी मुश्किल से हल्ला मचाने पर प्रार्थिनी के भाई, बहन व जीजा अन्दर आए और प्रार्थिनी को तुरन्त इन्द्रेश अस्पताल देहरादून लेकर गए तथा प्रार्थिनी के भाई ने जब पूछताद की तो प्रार्थिनी की सास हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारी बहन के खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई थी, मेरे से गलती हो गई आयन्दा ऐसी गलती नहीं कंरूगी। उस समय प्रार्थिनी के परिवार वाले प्रार्थिनी की तीमारदारी में व्यस्त थे, तथा परेशान थे। दिनांक 02.03.2014 को शाम को प्रार्थिनी का पति आलोक शर्मा भी नोयडा से आ गया तथा दिनांक 03.03.2014 को प्रार्थिनी को उसके पिता अस्पताल से अपने घर ले गए। चूंकि उस समय प्रार्थिनी के पति ने आश्वासन दिया था कि प्रार्थिनी उसकी मॉ को माफ कर दे, तथा वह प्रार्थिनी का स्वास्थ्य ठीक होने पर सीधे प्रार्थिनी को अपनी नौकरी वाले स्थान नोएडा ले जाएगा तथा अपनी माता से कोई सम्बन्ध भविष्य में नहीं रखेगा। परन्तु कुछ दिन बाद वह मुकर गया वह तभी से प्रार्थिनी अपने पिता के पास रह रही है। तत्पश्चात मिटिंग होने पर सब रिश्तेदारों ने प्रार्थिनी की सास द्वारा आयन्दा ऐसा न करने के आवश्वासन पर कोई पुलिस

कार्यवाही नहीं की तथा प्रार्थिनी का पति भी अपनी नौकरी पर चला गया। प्रार्थिनी ने यह सोचकर कि उसका घर बसा रहेगा उस समय कोई शिकायत नहीं की।

23. उक्त तहरीर के पश्चात सम्बन्धित पुलिस के द्वारा अभियुक्त आलोक शर्मा व उसकी माता अभियुक्ता लक्ष्मी देवी व दोनों बहनों श्रीमती अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा के विरूद्ध विवेचना अमल में लाई गई व अभियुक्त आलोक शर्मा की बहनों के विरूद्ध कोई आरोप नहीं मिले जिस कारण उनके विरूद्ध कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। *पी0डब्लू 6 एस0आई कबूल सिह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्ता अल्का मिश्रा तथा संतोष शर्मा के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला। उनके नाम विवेचना से पृथक किए गए। विचारण के समय भी वादिनी श्रीमती रूचि शर्मा के द्वारा न्यायालय में भा0दं0स0 की धारा 319 के द्व ारा भी अभियुक्त आलोक शर्मा की बहनों अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा को अभियुक्ता के रूप में न्यायालय के समक्ष बुलाने हेतु कोई कोशिश नहीं की गई।*

स्वयं वादिनी रूचि शर्मा न्यायालय के समक्ष स्वयं पी0डब्ल्यू 1 के रूप में उपस्थित हुई उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अभियुक्त आलोक शर्मा से उसका विवाह 24.11.2013 को सम्पन्न हुआ। अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा पांच में कथन किया गया है कि विवाह के तीन चार दिन के उपरान्त उसकी सास लक्ष्मी देवी और नन्दे अलका और संतोष शर्मा द्वारा उसे दहेज के सम्बन्ध में ताने मारे गए और 5 लाख रूपये व वैगन–आर गाडी की मांग करने लगे। वादिनी पी0डब्लू 1 ने इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उसके साथ मार पीट करने का भी कथन किया है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 6 में कथन किया है कि उसका पति नौकरी के सम्बन्ध में नोएडा चला जाता था और उसकी सास व नन्दे उसके साथ मारपीट व गाली गलोच करती और दहेज के सम्बन्ध में ताने देती थी। परन्तु उसकी नन्दे श्रीमती अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा के विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं अभियोजन पक्ष की तरफ से पुलिस विवेचना में निर्दोष पाई गई अभियुक्ता अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा के विरूद्ध धारा 319 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत कार्यवाही में उदासिनता दिखाना। वादिनी के मूल कथनों में संशय उत्पन्न करता है। स्वयं अभियोजन पक्ष का कथन है कि दिनांक 04.03.2014 को जब प्रार्थिनी अस्पताल से छुटटी लेकर अपने घर जा चुकी थी तो वादिनी का पति अभियुक्त आलोक शर्मा व उसकी नन्द अल्का मिश्रा उनके घर पर गए थे और उनसे उनके मॉ के द्वारा के द्वारा किए गए दुरव्वहार पर क्षमायाचना की और उनके

क्षमायाचना पर वादिनी पर उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध दिनांक 01.03.2014 से 28.03.2014 तक मूल वाद योजित नहीं करवाया गया। बल्कि वादिनी व उसके मायके के परिवार के सदस्यों ने अभियुक्त आलोक शर्मा व नन्द अल्का मिश्रा की बातों पर विश्वास किया। यदि उसकी नन्द अल्का मिश्रा प्रार्थिनी को दहेज के लिए तंग करती थी और मारती पीटती थी तो उसके मायके के परिवार के सदस्यों के द्वारा वादिनी के पति आलोक शर्मा के समक्ष उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। अभियोजन पक्ष का यह व्यवहार अप्राकृतिक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि जब अभियुक्तगण अभियोजन पक्ष द्वारा रखी गई शर्तो को मानने में आनाकानी करने लगे व कुछ समय बाद अभियुक्तगण के द्वारा फोन पर वादिनी व उसके मायके के परिवार के सदस्यों से वैगन–आर गाडी व पांच लाख रूपये मांगने लगे। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई पुख्ता साक्ष्य न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया है कि दिनांक 04.03.2014 के उपरान्त कब और किससे अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग की गई है।

24. जहां तक अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के विरूद्ध आरोप साबित होने का सम्बन्ध है तो वह भी साबित नहीं हुए हैं। जब न्यायालय के द्वारा अभियुक्ता लक्ष्मीदेवी जो वादिनी की सास है के धारा 313 सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत बयान दर्ज किए गए तो उसने कथन किया कि उसकी उम्र 77 वर्ष है। उसके द्वारा अपनी बहु को दहेज के लिए कभी भी परेशान नहीं किया गया। उसने अपनी बहु को कभी चूहे मारने का जहर नहीं दिया। वह खुद खाना बनाती थी मैं कभी खाना नहीं बनाती थी। हमने उनसे कभी दहेज के लिए पैसे नहीं लिए हैं। वास्तव में उनकी बहु उनसे अलग रहना चाहती थी और उसके नाम का मकान अपने नाम करवाना चाहती थी और उसे हर समय गाली देती रहती थी और उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाया गया है।

यदि उक्त के परिप्रेक्ष्य में वादिनी के स्वयं के कथनों का भी विश्लेषण किया जाए तो भी अभियोजन पक्ष अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के विरूद्ध भी कोई अपराध साबित करने में असफल रहा है। एक तरफ वादिनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने अपनी सास अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के हाथों खाना खाया है और उनके मध्य कोई अविश्वास का भाव नहीं था। दूसरी तरफ वह कहती है कि उसे चूहे मारने की दवाई उसकी सास अभियुक्ता लक्ष्मी देवी ने खाने में दी गई है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल साक्ष्यों के द्वारा यह साबित हो चुका है कि वादिनी को अभियुक्ता

लक्ष्मी देवी के द्वारा चूहे मारने की दवाई देने के सम्बन्ध में वादिनी का कथन साबित नहीं हुआ है। अतः दूसरा कथन कि वादिनी की सास उसकी भलाई के सम्बन्ध में उसका ख्याल रखती थी, वादिनी के स्वयं के कथनों से साबित होता है।

25. फिर वादिनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने पति आलोक शर्मा के द्वारा उससे दहेज मांगने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। उसका कथन है कि उसकी सास लक्ष्मी देवी के द्वारा उसे दिनांक 01.03.2014 को खाने में मिलाकर चूहे मारने की दवाई दे दी थी और उसकी तबियत बिगडने के कारण उसे दिनांक 01.03.2014 को उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। दिनांक 02.03.2014 को उसका पति आलोक शर्मा नोएडा से अस्पातल में आया और उसने अपनी मॉ के किए पर क्षमायाचना की। अगले दिन दिनांक 03.03.2014 को वादिनी अस्पातल से डिस्चार्ज होने के उपरान्त अपने पिता के घर चली गई। उसके पश्चात दिनांक 04.03.2014 को उसका पति आलोक शर्मा उसके पिता के घर पर उसकी नन्द अलका मिश्रा के साथ आया और कहने लगा कि उसकी मॉ से जो गलती हुई है उसे माफ कर दें। उसके पति के द्वारा कथन किया गया कि वह उसे अपनी नौकरी वाले स्थान नोएडा ले जाएगा और अपनी मॉ से कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा। कुछ दिन बीत जाने के उपरान्त उसका पति अभियुक्त आलोक शर्मा वादिनी को नोएडा ले जाने वाली बात से मुकर गया और उसे अपने साथ नोएडा लेकर नहीं गया। ससुराल पक्ष ने आश्वासत किया था कि तुम कोई पुलिस कार्यवाही मत करो जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उनके आश्वासन पर हमने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके उपरान्त उसका पति व ससुराल पक्ष के लोग अपने बात से मुकर गए।

अतः प्रार्थिनी ने अपनी उक्त मुख्य परीक्षा में अभियुक्त आलोक शर्मा के विरूद्ध किसी प्रकार का दहेज मांगने का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि अपनी सास लक्ष्मी देवी व नन्दों के विरूद्ध दहेज के लिए परेशान करने के सम्बन्ध में कथन किया है। इस निर्णय के उक्त में किए गए विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी की दोनों नन्दों अल्का मिश्रा व संतोष शर्मा को पुलिस ने अपनी विवेचना में निर्दोष पाया है और वादिनी के द्वारा विचारण के दौरान उन्हें अभियुक्त बनाने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है। जिससे वादिनी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज के सम्बन्ध में लगाए गए आरोप संदेहास्पद हो जाते हैं।

26. इसके अतिरिक्त जब वादिनी पी0डब्लू 1 श्रीमती रूचि शर्मा की बचाव पक्ष की तरफ से जिरह की गई तो उसने अपनी जिरह के पैरा 33 में कथन किया है कि शादी के समय जो भी सामान दिया गया था वह दानस्वरूप दिया गया था। अपनी जिरह के पैरा 36 में कथन किया है कि उसके द्वारा ए0सी0जे0एम तृतीय में दिनांक 17.08.2017 में दिया गया बयान *''कि यदि मेरी शर्तो पर समझौता होता है तो मैं समझौता करने को तैयार हूं तथा मैं मेरे व विपक्षी के मध्य चलने वाले सभी मुकदमों को भी वापस ले लूंगी। दिनांक 17.08.2017 को दिए गए बयानों से लेकर आज तक उक्त परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।'' इसके अतिरिक्त उसकी जिरह में उससे किए गए प्रश्नउत्तर के सम्बन्ध में प्रार्थिनी ने कथन किया है कि दिनांक 01.03.2014 से पूर्व उसे प्रताडित करने की बात उसके द्वारा किसी को नहीं बताई गई और पैरा 40 में कथन किया है कि उसकी सास उसे स्कूल से आने के बाद खाना देती थी।* इसके अतिरिक्त वादिनी ने अपनी जिरह के पैरा 30 में कथन किया है कि मेरे को खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाने की बात मेरी सास लक्ष्मी देवी ने मेरे भाई के पूछने पर बताई थी। यह कहना सही है कि खाने में चूहे मारने वाली दवाई की बात मेरी सास और मेरे भाई के बीच की है मुझे नहीं पता इन्द्रेश अस्पताल में मेरे खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाने की बात डाक्टर या अस्पताल के स्टाफ को किसने बताई, मुझे नहीं पता। वादिनी के उक्त कथनों से स्पष्ट है कि वादिनी ने स्वयं उसे अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के द्वारा चूहे मारने की दवाई देने के सम्बन्ध में किसी के सामने कोई कथन नहीं किया है उसे इस तथ्य की जानकारी उसे उसके भाई से हुई है। उक्त परिस्थितियों में वादिनी के अस्पताल में दिनांक 01.03.2014 को भर्ती होने व उसके इलाज करने के सम्बन्ध में *साक्षी पी0डब्लू 5 डॉक्टर संजय गुप्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 01.03. 2014 को वह इन्द्रेश अस्पताल में गैस्ट्रो विभाग में इन्चार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन समय साढे सात बजे सांय पीडिता श्रीमती रूची शर्मा को इमरजेन्सी आई0सी0यू0 में भर्ती किया गया जहां पर पीडिता द्वारा यह बताया गया कि चूंहे मारने की दवाई का सेवन इमरजेंसी में पहुंचने से आधा घण्टा पूर्व किया गया था। मरीज भर्ती होते समय उल्टी कर रहा था और पेट में जलन तथा सिर दर्द की शिकायत कर रहा था। मरीज की चिकित्सीय जांच एवं ब्लड प्रेशर, पल्स, ई0सी0जी0 आदि सामान्य स्तर पर पाए गए थे। ऑब्जरवेसन हेतु आई0सी0यू0 में*

भर्ती किया गया था पीडिता की खून की जांच में खून सामान्य से थोड़ा कम पाया गया। जांच में एम0सी0वी0 कम पाया गया जो सामान्यतः आइरन की कमी से होता है। उनकी अन्य जांचे व अन्डरस्कोपी सामान्य पाई गई थी। 48 घंटे तक मैंने उन्हें आई0सी0यू0 में रखा था तथा सभी कुछ सामान्य पाए जाने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया था। दि0 03.03.2014 को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था।

जब डॉक्टर संजय गुप्ता की जिरह की गई तो उससे यह प्रश्न किया गया कि– क्या दौराने जांच आपको पता चला कि पीडिता द्वारा जहर का सेवन किया गया?
उत्तरः पीडिता द्वारा चूंहे मारने की दवा खाने बाबत बताया गया था तथा उसकी जांच में पुष्टि नहीं की जा सकती थी। चूंहे मारने की दवा खाने पर हमारे द्वारा मात्र मरीज को आब्जर्वेसन में ही रखा जाता है। तथा आब्जर्वेसन के दौरान जहर खाने का कोई संकेत पीडिता में नहीं पाया गया। हमारे द्वारा पीडित को डिस्चार्ज करने पर उनकी स्थिति सामान्य थी।

अतः पी0डब्लू 5 डॉक्टर संजय गुप्ता के कथनों से स्पष्ट है कि वादिनी श्रीमती रूचि शर्मा के शरीर में कोई जहर होने की पुष्टि नहीं हुई है और यदि उसके द्वारा कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई है तो भी डॉक्टर संजय गुप्ता के कथनों से स्पष्ट है कि उसने स्वयं चूहे मारने की दवाई खाने बाबत कथन किया है।

27. इसके अतिरिक्त जब वादिनी को दिनांक 01.03.2014 को चूहे मारने की दवाई देने और इलाज के सम्बन्ध में महन्त इन्द्रेश अस्पताल में दाखिल करवाया गया था तथा उस समय अस्पताल की तरफ से कोई भी जानकारी सम्बन्धित थाने या पुलिस को नहीं भेजी गई। उस समय मात्र अस्पताल में वादिनी उसके परिवार के सदस्य व डॉक्टर ही अस्पताल में थे। *यदि वादिनी को जहर देने की घटना सही होती तो अस्पताल की तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में कोई सूचना सम्बन्धित पुलिस को अवश्य भेजी जाती।* एक अन्य तथ्य जो अभियोजन पक्ष के विरूद्ध साबित होता है वह यह है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जिस खाने को वादिनी के द्वारा खाने के सम्बन्ध में कथन किया है उसे भी कब्जे में नहीं लिया गया जिसके आधार पर यह साबित हो पाता कि उसमें किसी जहर की मिलावट की गई हो। मौके से कोई कन्टेनर या दवाईयों के पत्ते भी बरामद नहीं हुए हैं। यदि वादिनी व उसके मायके के परिवार के सदस्यों के समक्ष वादिनी को जहर देने की बात हुई थी तो इस सम्बन्ध में उन्हें अवशय ही पुलिस रिपोर्ट उसी समय करवानी चाहिए थी ताकि पुलिस जहर के सम्बन्ध में पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करती।

28. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू 2 सतीश कुमार जो वादिनी के पिता है न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी बेटी की शादी दिनांक 24.11.2013 को आलोक शर्मा के साथ हुई थी। उसके द्वारा अपनी बेटी की शादी में 15 लाख रूपये खर्च किए गए थे। शादी के बाद से ही उसका दामाद आलोक शर्मा उसकी सास लक्ष्मी देवी व उसकी दानों नन्दे उसको दहेज के लिए ताने देते रहते थे। दिनांक 01.03.2014 को उसकी बेटी की सास ने उसकी बेटी को खाने के लिए खाना दिया उसके थोडी देर बाद में ही उसकी बेटी की तबियत बिगडने गई और उसे चक्कर आने लगे। जिसके उपरान्त उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के द्वारा उसके बेटे के समक्ष वादिनी को चूहे मारने की दवाई देने के सम्बन्ध में कथन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में इस गवाह के साक्ष्य भी जनश्रुति पर आधारित है। अन्यथा भी मेडिकल साक्ष्य में वादिनी के द्वारा किसी प्रकार का जहर लिए जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या चिकित्सीय रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं आई है। चिकित्सीय साक्ष्य में वादिनी को मात्र आब्जर्वेशन में रखने के लिए कथन किया गया है जिसमे उसके सभी पैरामीटर्स सामान्य बताए गए हैं। पी0डब्लू 2 के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 02.03.2014 को उसके दामाद अभियुक्त आलोक शर्मा नोएडा से आ गया था उक्त घटना की शिकायत उनके द्वारा अपने दामाद से की गई थी तथा उसके द्वारा कथन किया गया कि उसकी मॉ को माफ कर दें भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी और आप की बेटी को ठीक होने पर वह उसे नोएडा ले जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के पश्चात भी व उसकी बेटी का नोएडा नहीं ले गया। अतः वादी पक्ष की तरफ से अभियुक्त पर लगाए गए दहेज के आरोप संदेह के घेरे में हैं और वास्तविक मुद्दा अभियुक्त आलोक शर्मा के द्वारा वादिनी को अपने साथ नौकरी वाले स्थान नोएडा नहीं ले जाने के सम्बन्ध में प्रतीत होता है।

29. इसके अतिरिक्त पी0डब्लू 3 मयंक शर्मा जो वादिनी का भाई है ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि दिनांक 01.03.2014 को उसकी बहन को उसकी सास ने उसके सामने चूहे मारने की दवाई देने के सम्बन्ध में कथन किया है और उनके द्वारा उसकी बहन को उसके बहनोई के द्वारा नोएडा ले जाने के कथन के आधार पर उन्होंने अभियुक्तगण के विरूद्ध उस समय दिनांक 01.03.2014 को कोई कार्यवाही नहीं की जो यह साबित करता है कि पक्षकारों के मध्य में

दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं था। वास्तविक विवाद अभियुक्त आलोक शर्मा व वादिनी रूचि शर्मा के अलग अलग रहने के कारण था। इस सम्बन्ध में जब अभियुक्ता लक्ष्मी देवी के 313 के बयान करवाए गए तो उसने अपने 313 के बयान में कथन किया है कि उसकी बहु उससे अलग रहना चाहती थी। उसकी बहु उसे हर समय गाली देती थी। उसने कभी अपनी बहु को परेशन नहीं किया। उसने कभी भी अपनी बहु के साथ मारपीट नहीं की वह 77 वर्ष की बुढ़ी औरत है। वह स्वयं अपना खाना बनाती थी। उसके द्वारा अपनी बहु को कोई जहर नहीं दिया गया है।

30. इस गवाह पी0डब्लू 3 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले मेरी बहन ने ससुराल के समस्त कृत्यो के बारे में नहीं बताया। छोटी–मोटी बात बताई थी। अतः एक तरफ तो वादी पक्ष के गवाहन का कहना है कि अभियुक्तगण वादिनी व उसके परिवार वालों से पांच लाख रूपये व वैगन–आर गाडी की मांग करते थे दूसरी तरफ पी0डब्लू 3 वादिनी के सगे भाई ने यह कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पहले वादिनी के विरूद्ध उसके ससुराल वालों की तरफ से दहेज मांगने के कृत्यो के सम्बन्ध में उन्हें नहीं बताया था। इस गवाह ने अपनी जिरह के अन्तिम पैरा में कथन किया है कि यदि आलोक शर्मा मेरी बहन को ''नोएडा ले जाता है तो हमें कोई शिकायत नहीं थी। यह कहना सही है कि यह दोनों साथ चले जाते तो हमे यह प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम भी चाहते है कि घर बस जाए''।

31. पी0डब्लू 4 साक्षी तरूण शर्मा जो वादिनी का जीजा है न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और कथन किया कि दिनांक 01.03.2014 को उन्हें पता चला कि वादिनी रूचि की तबियत खराब है। इस पर वह, उसकी पत्नी शुचि और मयंक रूचि के घर गए। काफी पर्यास के बाद उसकी सास ने दरवाजा खोला। मयंक ने जब रूचि की तबियत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उससे गलती हो गई है उसे माफ कर दो। उसने रूचि को चूहे मारने की दवाई खाने में मिला कर दे दी है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके पश्चात रूचि को इन्द्रेश अस्पताल लेकर गए रूचि वहां दिनांक 03.03.2014 तक भर्ती रही और उसके बाद उसके पिता उसे अपने घर लेकर चले गए तब से रूचि अपने मायके में रह रही है। इस घटना के बाद आलोक शर्मा ने उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे नोएडा लेकर जाएगा और किसी तरह उसे परेशान नहीं होने देगा। लेकिन आलोक उसको अपने साथ लेकर नहीं गया तथा तंग आकर इस घटना की रिपोर्ट रूचि ने

एस0एस0पी0 महोदय के द्वारा थाना पटेलनगर में दिनांक 28.03.2014 को दर्ज करवाई। अतः इस गवाह ने भी पक्षकरों के मध्य में असली विवाद वादिनी को अभियुक्त आलोक शर्मा के द्वारा नोएडा में अपने साथ न रखने को बताया है।

32. प्रस्तुत घटना दिनांक 01.03.2014 को घटित हुई और उसके उपरान्त दिनांक 28.03.2014 को तहरीर प्रस्तुत की गई है। इस दौरान पक्षकारों के मध्य में किसी बात को लेकर सुलहनामें की चर्चा होती रही कि अभियुक्त आलोक शर्मा यदि अपनी बूढी मॉ को छोडकर यदि वादिनी को नोएडा ले जाता है तो उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अन्यथा होने पर उसके व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध को मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस गवाह ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि यदि आलोक शर्मा अपनी पत्नी रूचि शर्मा को नोएडा अपने साथ लेकर जाता तो हम पूरे परिवार वालों को कोई शिकायत नहीं थी।

33. पी0डब्लू 5 शुचि शर्मा जो वादिनी की बहन है न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और उसके द्वारा भी कथन किया गया कि उसकी छोटी बहन के पति आलोक शर्मा अपनी नौकरी के लिए बाहर चले जाते थे और 10–15 दिन में एक दिन के लिए घर आते। मेरी बहन की सास लक्ष्मी देवी व उनकी दोनों नन्दे संतोष व अलका उसको कम दहेज लाने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करते थे और मेरी बहन से दहेज में पांच लाख रूपये तथा वैगन–आर गाडी लाने की मांग करते थे। दिनांक 01.03.2014 को जब मेरी बहन ने मेरे भाई के दोस्त धर्मेश के लडके के जन्मदिन में जाने के लिए अपनी सास लक्ष्मी देवी से पूछा तो उसकी सास ने कहा कि तूने कुछ खाया नहीं है थोडा खाकर जा। मेरी बहन को उसकी सास ने खाने के लिए दिया तो खाने के कुछ देर बाद ही उसकी बहन की तबियत खराब हो गई और चक्कर आने लगे। जब उसकी तबियत बिगडती चली गई तो लगभग समय 5.50 बजे उसकी बहन का फोन उसके पास आया उसके उपरान्त उसके पति तरूण शर्मा उसके भाई मयंक व वह स्वयं उसके ससुराल गए और उन्होने दरवाजा खुलने के उपरान्त उसकी बहन की सास से जब अपनी बहन की तबियत के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उससे गलती हो गई है और उसने उसकी बहन को खाने में चूहे मारने की दवाई दे दी है और आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। दिनांक 03.03.2014 को उसकी बहन को अस्पताल से छुटटी दे दी गई। दिनांक 02.03.2014 को जब मेरी बहन के पति आलोक शर्मा नोएडा से आए

तो उन लोगों ने इस सम्बन्ध में उससे शिकायत की तो उसने कथन किया कि उसकी मॉ को माफ कर दो और भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और वह उसकी बहन रूचि शर्मा को ठीक होने पर नोएडा ले जाएगा। लेकिन इस घटना के काफी समय बीत जाने के उपरान्त भी वह उसकी बहन को नोएडा नहीं ले गया। उसकी बहन के ससुराल वाले अपने दिए गए आश्वासन से मुकर गए और उसकी बहन को पुनः दहेज कम लाने के लिए फोन करने लगे जब इस गवाह से जिरह की गई तो इस गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि दिनांक 01.03.2014 से पहले मेरे मोबाइल पर फोन आने से पहले ही घटनाओं के बारे में जो मैंने बयान दिए हैं वह रूचि ने उनको बताए थे, पर आधारित है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने यदि कोई ऐसे कोई बयान दिए हैं तो वह नहीं बता सकती कैसे लिखे हैं। यदि आलोक रूचि को अपने साथ नोएडा ले जाता तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।

34. अतः अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी पांचो गवाहओं का एक मात्र यही कथन है कि यदि अभियुक्त आलोक शर्मा वादिनी रूचि शर्मा को

अपने साथ नोएडा में रखता तो उन्हें अभियुक्तगण से कोई शिकायत नहीं है। अभियुक्त आलोक शर्मा की बहनों अल्का मिश्रा और संतोष शर्मा को पुलिस के द्वारा अपने आरोप पत्र दाखिल करने से पूर्व ही निर्दोष पाया है। जिस पर भी वादिनी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। चिकित्सीय परीक्षण में वादिनी के द्वारा कोई जहर नहीं लेने के सम्बन्ध में तथ्य प्रकाश में आए हैं। पी0डब्लू 3 वादिनी के सगे भाई के द्वारा उक्त घटना दिनांक 01.03.2014 से पूर्व अभियुक्तगण के परिवार की तरफ से किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने के सम्बन्ध में कथन किया गया है। शादी के सम्पन्न होने के दौरान व उसके उपरान्त परिवार के किसी सदस्य या अभियुक्त आलोक शर्मा के द्वारा कभी भी दहेज के सम्बन्ध में मांग का आरोप वादिनी की तरफ से नहीं लगये गए हैं।

35. इसके अतिरिक्त वादिनी की तरफ से स्पष्ट रूप से यह कथन भी पत्रावली पर नहीं आया है कि उसकी सास लक्ष्मी देवी व नन्दों के द्वारा कब–कब उससे दहेज की मांग की गई। वादिनी के किसी भी गवाह के द्वारा यह कथन नहीं किया गया कि उनसे दहेज की मांग की गई हो। वादिनी के साथ मारपीट के सम्बन्ध में भी कोई भी तथ्य या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त गवाह के अतिरिक्त पी0डब्ल्यू 6 विवेचक एस0आई कबूल ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्ता अल्का मिश्रा व श्रीमती संतोष शर्मा के विरूद्ध भी कोई साक्ष्य नहीं मिले और उनके नाम विवेचना से पृथक किए गए।

36. अतः उक्त साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपने साक्ष्यों को साबित नहीं कर पाया है। तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा अन्तर्गत 498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम के आरोप सिद्ध नहीं होता हैं और वह निर्दोष पाए जाते हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण में, अभियुक्त आलोक शर्मा को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अंतर्गत धारा 498ए,323,504 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण में, अभियुक्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध दण्डनीय अंतर्गत धारा 498ए,323,504,328 आई.पी.सी. व 3/4 दहेज अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानत पत्र एवं बंधपत्र निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437–ए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में बंधपत्र व प्रतिभू निष्पादित किए जा चुके है, जो उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विहित समय तक प्रभावी रहेंगें।

माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो अपील अवधि की समाप्ति पर तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशनुसार निस्तारित होवे।

दिनांक 29.04.2019

(धर्म सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम
देहरादून।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घ ोषित किया गया।

दिनांक:29.04.2019

(धर्म सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम
देहरादून।